

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर - 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल aao1.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प 2 (क)/अलेसे। लिंक न. 4168 / 4695

दिनांक :- 29/08/2024

आदेश

श्री अशोक कुमार [लिंक नं. 4168] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, कुम्हेर, डीग - [22681] जिनकी जन्म तिथि 13/01/1967 है, ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 18/10/2024 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अनुरोध किया है।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996, के नियम 50 (1) के अन्तर्गत इन्हें दिनांक 18/10/2024 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

श्री अशोक कुमार की राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 04/07/1995 है।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक कुमार के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अंतर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/ लम्बित नहीं हैं।

(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- प 2 (क)/अलेसे। लिंक न. 4168 / 4695

दिनांक :- 29/08/2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, भरतपुर
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, कुम्हेर, डीग
4. कोषाधिकारी डीग
5. श्री अशोक कुमार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, कुम्हेर, डीग
6. निजी सचिव, निदेशक
7. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली / पदस्थापन सीट / वरिष्ठता सीट

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Bhupesh Kumar
Mathur
Designation : Director
Date: 2024.08.29 18:38:19 IST
Reason: Approved

